शाहजहाँपुर पुलिस

प्रेस नोट

दिनांक – 07.11.2024 थाना काँट पुलिस का सराहनीय कार्य

थाना काँट पुलिस व एसओजी की संयुक्त टीम द्वारा तीन वर्षिय बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त संजय उर्फ संजू को पुलिस मुठभेड के दौरान नाजायज असलाह के साथ किया गिरफ्तार, मुठभेड में अभियुक्त व एक पुलिसकर्मी गोली लगने से घायल

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद शाहजहांपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम जुर्म जरायम तलाश वांछित अपराधी व वारण्टियो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक नगर महोदय के निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी सदर महोदय के पर्यवेक्षण में थाना कांट पुलिस टीम को बड़ी सफलता प्राप्त हुई।

दिनाँक 06/11/2024 में वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना कांट जनपद शाहजहाँपुर में मु0अ0सं0 596/2024 धारा 331(4)/137(2)/65(2) BNS व धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट बावत बाइस्तवा अभियुक्त राजाराम पुत्र जग्गू निवासी ग्राम रमापुर पूर्वी थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर द्वारा वादी की तीन वर्षीय नाबालिग पुत्री को रात्रि मे घर से उठाकर ले जाके उसके साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में पंजीकृत हुआ था। जिसकी विवेचना प्रभारी निरीक्षक थाना कांट द्वारा सम्पादित की जा रही है। दौराने विवेचना बाइस्तवा अभियुक्त राजाराम पुत्र जग्गू निवासी ग्राम रमापुर पूर्वी थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर की नामजदगी गलत पायी गयी व *अभियुक्त संजय उर्फ संजू पुत्र जगतपाल निवासी ग्राम रमापुर पूर्वी थाना कांट जिला शाहजहांपुर का नाम उक्त घटना के कारित करने के सम्बन्ध में प्रकाश में आया*।

दिनाँक 07.11.2024 को प्रभारी निरीक्षक थाना कांट श्री अश्वनी कुमार मय हमराह पुलिस फोर्स व एसओजी टीम देखभाल शांति व्यवस्था व रोकथाम जुर्म जरायम व तलाश वांछित अपराधी मामूर थे कि मुखबिर खास द्वारा थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 596/2024 धारा 331(4)/137(2)/65(2) BNS व धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्त संजय उर्फ संजू पुत्र जगतपाल निवासी ग्राम रमापुर पूर्वी थाना कांट जिला शाहजहांपुर के सम्बन्ध में सूचना मिली जिस सूचना पर प्रभारी निरीक्षक महोदय मय पुलिस फोर्स मय एसओजी टीम के मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान मदनापुर रोड पर जिन्दो वाली पुलिया के पास आये तो अभियुक्त संजय उर्फ संजू पुत्र जगतपाल निवासी रमापुर पूर्वी थाना कांट जिला शाहजहांपुर उपरोक्त से आत्मसर्मपण के लिये कहा गया परन्तु अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से सीधे फायर किया गया व गोली कां0 1729 अनिल कुमार की बायीं बाजू को छूते हुए निकल गयी। जिस पर पुलिस पार्टी द्वारा आत्मरक्षार्थ न्यूनतम फायरिंग की गयी जिसमें अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हो गया तथा अभियुक्त को मौके पर पकड़ लिया गया तथा गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर जिसकी नाल मे खोखा कारतूस फंसा हुआ व एक अदद कारतूस जिन्दा व एक अदद मोबाईल फोन रियल मी बरामद हुआ। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त को विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

पुछताछ विवरणः- अभियुक्त संजय उपरोक्त से पुलिस टीम पर फायर करने तथा भागने के बारे मे पूछा तो बताया कि "उसके द्वारा ही वादी के घर में छत के रास्ते घुसकर उसकी तीन साल की बेटी को उठाकर ले जाकर उसके साथ गलत काम किया तथा उस बच्ची को टयूबवैल पर ही छोडकर अपने घर चला गया। उस समय गांव वाले लडकी को ढूंढ रहे थे तो मै भी उन लोगो के साथ लडकी को ढूंढने लगा जिससे मुझ पर लोग शक न करें। जितेन्द्र व इनके परिवार वाले गाँव के राजाराम पर शक कर रहे थे तो मै आश्वस्त हो गया कि मै बच गया लेकिन जब आप लोगो ने हम सब भाईयो की व अन्य लोगो की फोटो खींची तो मुझे एक डर सताने लगा कि कहीं मैं पकडा न जाऊँ। कुछ समय बाद जब मुझे यह भी पता चला कि घटना की वास्तविकता व मेरे बारे मे पुलिस को जानकारी हो गयी है तथा गाँव वालों को भी पता चल गया है तो मुझे डर सताने लगा कि लोग मुझे मार देंगे इसलिए मैने अपनी सुरक्षा के लिए घर पर रखा अपना तमंचा और कारतूस लेकर घर से चला आया। मुझे डर सता रहा था कि पुलिस मुझे पा जायेगी तो मुझे जेल भेज देगी इसलिए मै पकडे जाने के डर से गांव से गुडगांव हरियाणा भाग जाने का प्लान बनाया लेकिन मेरे पास पैसे कम थे इसलिए मै पैदल पैदल आया और आगे कहीं अपना मोबाईल फोन बेचकर रूपयो की व्यवस्था करके गुडगांव चला जाता। पकड़े जाने से बचने के लिए ही मैने आप लोगो पर तमंचे से फायर किया।"

इसके उपरान्त घायल पुलिस कर्मी 1729 अनिल कुमार व अभियुक्त संजय उर्फ संजू पुत्र जगतपाल निवासी ग्राम रमापुर पूर्वी थाना कांट जिला शाहजहांपुर की जान की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इलाज हेतु सीएचसी काँट भेजा गया जिसमें अभियुक्त संजय उपरोक्त को प्राथमिक उपचार हेतु जिला चिकित्सालय जनपद शाहजहाँपुर रेफर किया गया तथा अभियुक्त द्वारा किये गये अपराध के सम्बन्ध में थाना हाजा पर पंजीकृत मु0अ0सं0 596/24 धारा 331(4)/137(2)/65(2) BNS व धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट के सम्बन्ध में अवगत कराकर गिरफ्तार किया गया व अभियुक्त द्वारा पुलिस टीम पर नाजयज असलाह से गोली चलाने के सम्बन्ध में अभियुक्त संजय उपरोक्त के विरूद्ध मु0अ0सं0 599/24 धारा 109(1)/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट कर अग्रिम कार्यवाही अमल में लायी गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः-

1. संजय उर्फ संजू पुत्र जगतपाल निवासी रमापुर पूर्वी थाना कांट जनपद शाहजहांपुर

बरामदगी का विवरणः-

1. अभियुक्त संजय उर्फ संजू उपरोक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर जिसकी नाल मे खोखा कारतूस फंसा हुआ व एक अदद कारतूस जिन्दा व एक अदद मोबाईल फोन रियल मी व एक पुलिंदा तीन अदद खोखा कारतूस

अभियुक्त का आपराधिक इतिहासः-

1. मु0अ0सं0 599/24 धारा 109(1)/352 बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट
2. मु0अ0सं0 596/2024 धारा 331(4)/137(2)/65(2) BNS व धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1 प्रभारी निरीक्षक श्री अश्वनी कुमार थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
2 श्री धर्मेन्द्र कुमार प्रभारी निरीक्षक एसओजी
3 निरीक्षक अपराध श्री सत्य सिंह थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
4 उ0नि0 श्री राम सुन्दर यादव थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
5 उ0नि0 श्री पंकज कुमार सिंह थाना काँट जनपद शाहजहाँपुर
6 का0 2139 विनीत कुमार थाना काँट
7 का0 1729 अनिल कुमार थाना काँट
8 हे0का0 586 दिलीप कुमार, एसओजी

9 हे0का0 369 सुशील कुमार शर्मा , एसओजी

10 हे0का0 467 खालिद हुसैन , एसओजी

11 का0 1943 कमल कुमार, एसओजी